2023/164

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री भोमसिंह निवासी 129, जेड.एस.ए, बी.जे.एस कॉलोनी जोधपुर जिला जोधपुर।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 48 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.09.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 02.08.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सिरोही जिले में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का टेंडर किस कम्पनी को जारी हुआ एवं टेंडर बिड शुरूआत से लेकर वर्क ऑर्डर जारी होने तक की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 02.08.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सिरोही जिले में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का टेंडर किस कम्पनी को जारी हुआ एवं टेंडर बिड शुरूआत से लेकर वर्क ऑर्डर जारी होने तक की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना कुल 168 पेज की होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / लो.सू.अ. / रेकर्ड / 2023 / 1582 दिनांक 05.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को प्रति पृष्ठ 2 रूपए की दर से कुल 336 रूपए के पोस्टल ऑर्डर जमा कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाकर यह अपील प्रस्तुत की है, जो उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी उपरोक्त राशि लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में जमा करावे ताकि सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। अतः ऐसी स्थिति अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner